प्रवेश–परीक्षा–निर्देशिका
ENTRANCE TEST PROSPECTUS - 2023-24

विद्यावारिधिः(पीएच.डी.)

Vidya-Varidhi (Ph.D.)

(VVET-2023-24)

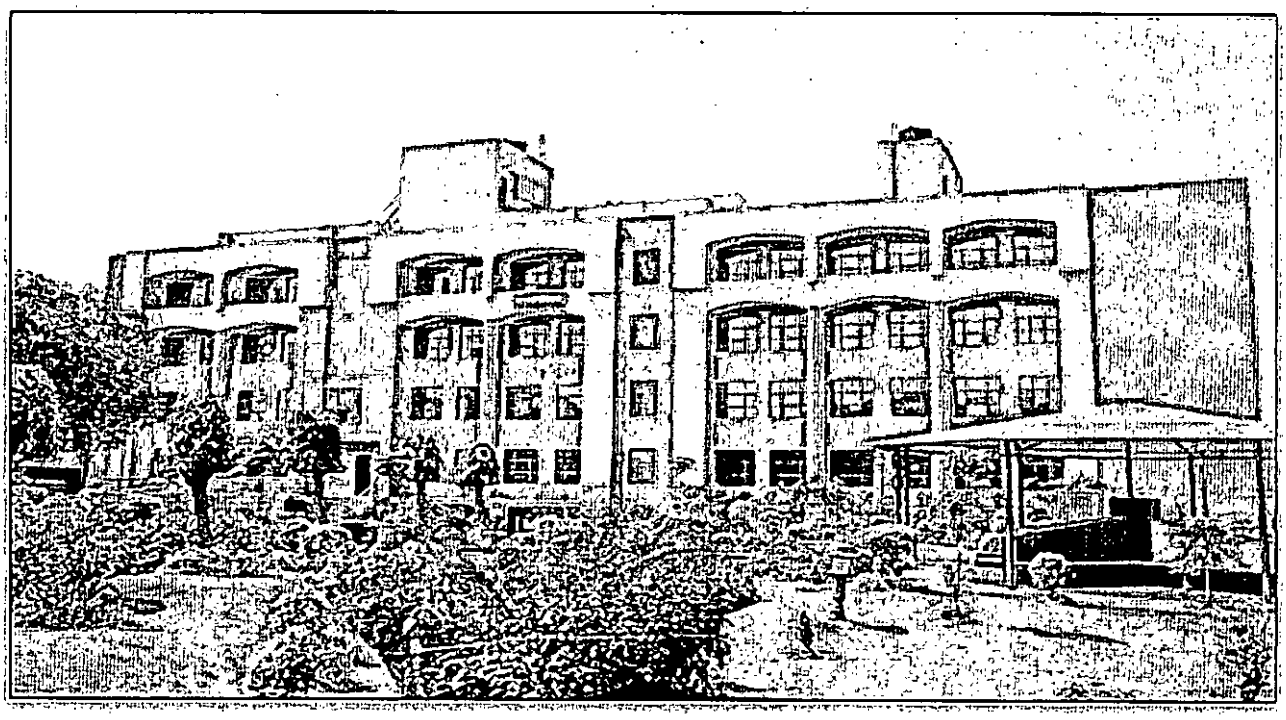

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः

(केन्द्रीयविश्वविद्यालयः)

बी–4, कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, कटवारियासरायः, नवदेहली–110016

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय–विश्वविद्यालय)

बी–4, कुतुबसांस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016

SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

(CENTRAL UNIVERSITY)

B-4, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

Ph: 011-46060503/548/820 Tele Fax: 011-46060550

Website: www.slbsrsv.ac.in

e-mail:entrance@slbsrsv.ac.in

प्रवेश–परीक्षा 2023–24
(पीएच.डी.) विद्यावारिधिः

प्रमुखतिथयः

ऑनलाइन-आवेदनतिथिः	26.03.2024 तः 15.04.2024 पर्यन्तम्
ऑनलाइन-आवेदन-तिथिः (विलम्बशुल्कसहितम्)	16.04.2024 तः 20.04.2024 पर्यन्तम्
आवेदनपत्रे-संशोधन-तिथिः	21.04.2024 तः 22.04.2024 पर्यन्तम्
ऑनलाइन-प्रवेशपत्र डाउनलोड-तिथिः	01.05.2024 तः
प्रवेशपरीक्षा-तिथिः	05.05.2024 (रविवासरः)
प्रवेशपरीक्षा-परिणाम-उद्घोषणातिथिः	20.05.2024
विस्तृतज्ञानार्थं जालपुटम् अवलोक्यताम् ।	http://www.slbsrsv.ac.in

विद्यावारिधि-प्रवेशपरीक्षाशुल्कः

- आवेदनं **केवलम् ऑनलाइन्** माध्यमेन भविष्यति।
- विद्यावारिधिप्रवेशपरीक्षा **आवेदनपत्रशुल्कः** 1500/- देयशुल्कतिथेः पश्चात् **आवेदनपत्रशुल्कः** 2500/- भविष्यति। (1000/-**विलम्बशुल्कसहितम्**)
- प्रवेशस्य समये त्रुटियुक्तावेदनपत्राणि नैव स्वीकरिष्यन्त।

EXAMINATION FEE
(VVET-2023-24)

- Application must be filled through **online only.** Filled Application form can be downloaded for own reference.
- Application fee for VVET is Rs.1500/- (Rupees Fifteen Hundred only) and after due date the fee will be Rs. 2500/- only. (including late fee of Rs. 1000/-)
- Incorrect application forms will not be entertained for admission in any of the course.

(प्रदत्त-शुल्कः नैव प्रत्यर्प्यते। जमा की गई फीस लौटाई नहीं जाएगी।)
Fee once paid will not be refunded.

Note:- ***If there is any change in the date of Entrance exam, the same will be uploaded on the University website.***
All rights reserved with SLBSNS University for cancelling/amending any of the rules/sub-rules contained in this document.

विषयानुक्रमणिका

1. विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय 04

2. पाठ्यक्रम 04

3. पात्रता 05

4. चयन-विधि.....06

5. उपलब्धस्थान 06

6. पाठ्यक्रम शुल्क.....07

7. आरक्षित-स्थान 07

8. महत्त्वपूर्ण तिथियाँ 08

9. परीक्षा केन्द्र.....08

10. अत्यावश्यक 08

11. ध्यातव्य बिन्दु 08

12. परीक्षा पद्धति 09

1. विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

भारत की राजधानी दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत-शिक्षा-केन्द्र के अभाव की पूर्ति के उद्देश्य से अक्टूबर 1962 में इस संस्था की स्थापना की गई। 28 अक्टूबर 1963 को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की अध्यक्षता में इसका पंजीयन किया गया। सन् 1970 से राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के तत्त्वावधान में प्रारम्भ होकर 01.11.1991 से यह संस्था 'मानित विश्वविद्यालय' के रूप में कार्यरत हुई । तत्पश्चात् मानित विश्वविद्यालय से अप्रैल, 2020 में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। विश्वविद्यालय वर्तमान में विभिन्न शास्त्रीय विषयों– शास्त्री (B.A.), आचार्य (M.A.), बी.ए (योग), एम.ए. (योग), एम.ए. (हिन्दू अध्ययन), एम.ए. (हिन्दी), एम.ए. (अंग्रेजी), एम.ए. (समाजशास्त्र) शिक्षाशास्त्री (B.Ed.), शिक्षाचार्य (M.Ed.) एवं विद्यावारिधि (Ph.D.) पाठ्यक्रमों को सञ्चालित करता है। शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्' एवं विद्यावारिधि 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग', नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह संस्था 'भारतीय विश्वविद्यालय संघ' की सूची में है। विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा 'A' ग्रेड प्रदान किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार दिनांक 30.04.2020 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया।

2. पाठ्यक्रम

विद्यावारिधि (पीएच.डी.)

संस्कृत वाङ्मय एवं शिक्षा से सम्बद्ध विभिन्न विषयों में शोधकार्य को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्यावारिधि शोधोपाधि के लिए विश्वविद्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी 2023-24 में प्रवेश हेतु आयोजित लिखित प्रवेश-परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। योग्यताधारक अभ्यर्थी विद्यावारिधि-पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्न-विषयों में शोधकार्य के लिए अर्ह होंगे–

वेद वेदांगपीठ के अंतर्गत विषय	दर्शनशास्त्रपीठ के अंतर्गत विषय	साहित्य एवं संस्कृतिपीठ के अंतर्गत विषय	शिक्षाशास्त्रपीठ के अंतर्गत
❖ शुक्लयजुर्वेद	❖ प्राचीनन्याय	❖ साहित्य	❖ शिक्षाशास्त्र
❖ धर्मशास्त्र	❖ नव्यन्याय	❖ पुराणेतिहास	
❖ नव्यव्याकरण	❖ सर्वदर्शन	❖ प्राकृतभाषा	
❖ प्राचीनव्याकरण	❖ सांख्ययोग		
❖ पौरोहित्य (कर्मकाण्ड)	❖ अद्वैतवेदान्त		
❖ सिद्धान्तज्योतिष	❖ विशिष्टाद्वैतवेदान्त		
❖ फलितज्योतिष	❖ मीमांसा		
❖ वास्तुशास्त्र	❖ जैनदर्शन		
	❖ योग		

सूचनाः- 1. अभ्यर्थी को अपनी निर्धारित अर्हता अनुसार ही संबंधित विषय में आवेदन करना होगा।

3. पात्रता

विद्यावारिधि प्रवेश-परीक्षा के लिये शैक्षिक योग्यता

1. परंपरागत विषय में विद्यावारिधि हेतु:
संबंधित विषय में आचार्य उपाधि कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा तत्समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण हो।

अथवा

एम.ए. (संस्कृत) में संबंधित विषय के समूह का अध्ययन सहित 55 प्रतिशत अंकों अथवा तत्समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण।

2. शिक्षाशास्त्र विषय में विद्यावारिधि हेतु:

शिक्षाचार्य अथवा एम.एड/एम.ए. (शिक्षा) 55 प्रतिशत अंक तथा स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में तीन वर्ष तक अध्ययन किया हो।

नोट– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित शिक्षा/संस्कृत/संस्कृत परंपरागत/प्राकृत भाषा विषय संबंधित कोड संख्या के तहत जे.आर.एफ. परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से छूट प्रदान की जायेगी, परन्तु जे.आर.एफ आवेदकों के लिए आनलाईन माध्यम से पंजीकरण एवं निर्धारित शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है ।

संबधित आवेदक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नेट/जे.आर.एफ. कोड संख्या के अनुसार संबंधित विषय में ही नेट/ जे.आर.एफ. की परीक्षा उत्तीर्ण हो। (शिक्षा–09, संस्कृत–25, जैन–60, संस्कृत परंपरागत–73, प्राकृत–91) नियमानुसार संबंधित विषय में जे.आर.एफ. परीक्षा उतीर्ण अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के अंतर्गत संबंधित विषय में ही प्रवेश दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (पीएच.डी.) उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड प्रक्रिया विनियम, 2022 तथा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यादेश के अनुसार विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ ओ.बी.सी.(नॉन क्रीमी लेयर), आर्थिक कमजोर वर्ग, अन्य-असक्षम अभ्यर्थियों के लिए 50% अङ्कों की उपलब्धि भी मान्य होगी।

i. विदेशी अभ्यर्थी, जिन्होंने भारत के बाहर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो यू.जी.सी. से भी मान्य है, से संस्कृत/शिक्षा में अथवा संस्कृत-परम्परागत किसी शाखा में, स्नातकोत्तर उपाधि, न्यूनतम 55% अंक के साथ अथवा उसके समान-श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, वे सभी भारत सरकार के 'विदेश-मंत्रालय' एवं 'शिक्षा मंत्रालय' के माध्यम से इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ii. भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण-नीति का पालन किया जाएगा (अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5% अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, आर्थिक कमजोर वर्ग 10%) तथा अन्य आरक्षण भारत सरकार के नियमानुसार होंगे।

सूचना:-अनु. जाति/अनु.जनजाति/ओ.बी.सी.(नॉन क्रीमी लेयर), आर्थिक कमजोर वर्ग/ अन्य अक्षम वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपर-निर्दिष्ट अर्हता में 5% अंकों की छूट देय है। प्रवेश हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

4. चयन–विधि

1. विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लिखित-प्रवेश-परीक्षा विश्वविद्यालय के माध्यम से होगी। प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदको को आनलाईन माध्यम से पंजीकरण कराना होगा तथा लिखित प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

2. लिखित प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले आवेदक और जे.आर.एफ. आवेदक साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने के पात्र होगें।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग वर्ग/अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिये प्रवेश परीक्षा में 05 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की जायेगी
4. सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले पात्र आवेदकों की संख्या सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिये प्रवेश परीक्षा हेतु 70 प्रतिशत और साक्षात्कार/ मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिये 30 प्रतिशत महत्व दिया जायेगा। जे.आर.एफ. आवेदकों को लिखित प्रवेश परीक्षा में छूट प्रदान होने के कारण आवेदकों के लिए आचार्य/पी.जी. कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध स्थानों के अनुसार प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
6. सीटों का आवंटन भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के आधार पर दिया जायेगा।

5. उपलब्ध स्थान

विषयानुसार विद्यावारिधि में उपलब्ध-स्थान

क्रम संख्या	विषय	उपलब्ध-स्थान-संख्या
1	शिक्षाशास्त्र	78
2	साहित्य	11
3	प्राकृतभाषा	11
4	न्याय (नव्य न्याय, प्राचीन न्याय)	04
5	सांख्ययोग	02
6	जैनदर्शन	10
7	शुक्लयजुर्वेद	14
8	पौरोहित्य	11
9	व्याकरण (नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण)	11
10	ज्योतिष (फलितज्योतिष एवं सिद्धान्त ज्योतिष)	15
11	वास्तुशास्त्र	23
12	पुराणेतिहास	01
13	विशिष्टाद्वैतवेदान्त	03
14	धर्मशास्त्र	14
15	मीमांसा	02
	कुल	210

विभागीय शोध-समिति की अनुशंसा के अनुसार अथवा अन्य किन्हीं अपरिहार्य-कारणों से विश्वविद्यालय के कुलपति की स्वीकृति अनुसार इस संख्या में परिवर्तन भी कर सकते हैं।

सूचना :-यू.जी.सी. के विनियम-2022 के आधार पर अध्यापकों के पद के अनुसार शोध मार्गनिर्देशन हेतु निम्नलिखित-स्थान निर्धारित हैं।

क्र.सं.	पद का नाम	अधिकतम-संख्या
(1)	आचार्य	08
(2)	सहाचार्य	06
(3)	सहायकाचार्य	04

6. पाठ्यक्रम शुल्क

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	शुल्क
1.	विद्यावारिधि (Ph.D.)	7,000/-

शुल्क:-शिक्षण-शुल्क नहीं है, फिर भी प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार अन्य-शुल्क देय होंगे।

विविध व्यय:-विश्वविद्यालय में जो शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित सामान्य विविध-व्यय होगा, वह प्रत्येक छात्र/छात्रा से अतिरिक्त लिया जाएगा। यह सामान्य-शुल्क होगा, जो अभ्यर्थियों के लिए या उनसे सम्बन्धित-कार्यों पर व्यय होगा।

7. आरक्षण का प्रावधान

विद्यावारिधि पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित-स्थानों में भारत सरकार के नियमानुसार निम्नलिखित प्रकार से स्थान आरक्षित हैं। यथा-

- ❖ अनुसूचित-जाति — 15% प्रतिशत
- ❖ अनुसूचित-जनजाति — 7.5% प्रतिशत
- ❖ दिव्यांगजन वर्ग (OH/HH/VH) — 5% प्रतिशत (Horizontally reservation)
- ❖ अन्य-पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) — 27% प्रतिशत
- ❖ आर्थिक पिछड़ा वर्ग — 10% प्रतिशत

अन्य प्रावधान (सामान्य सीटों से)

- ❖ कश्मीरी प्रवासी/अप्रवासी — 5% प्रतिशत
- ❖ युद्ध/सैनिक संघर्ष में घायल/मृत-व्यक्तियों के बच्चों/विधवाओं — 3% प्रतिशत

सूचना-

- ➢ उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदक अपने आरक्षण-प्रमाणपत्र को स्वप्रमाणित करके आवेदनपत्र के साथ संलग्न करें; अन्यथा उनके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ➢ आरक्षित–श्रेणी के अभ्यर्थियों के अभाव में रिक्त–स्थानों की पूर्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
- ➢ प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्थी की प्रवेश अर्हता जैसा कि संबंधित विषय में आचार्य अंक प्रतिशत, एम.ए. (संस्कृत) उपाधि धारक अभ्यर्थी द्वारा चयनित विषयों तथा अध्ययन विषय आदि की समीक्षा की जाएगी। संबंधित विभाग द्वारा योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। तदुपरांत ही योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।

(ब.) आरक्षित श्रेणियों के प्रमाणपत्र

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, सबडिविजनल मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/एम.आर.ओ.।

(ii) दिव्यांग-प्रत्याशियों के लिए मुख्य स्वास्थ्य-अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय।
(न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता पर ही विचार किया जायेगा।)

(iii) सशस्त्र-सैनिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए सचिव थल/नौसेना/वायुसेना बोर्ड।

(iv) कश्मीरी प्रवासियों के लिए– उपायुक्त/सक्षम अधिकारी (कार्यालय की मोहर सहित)

8. प्रवेश परीक्षा-2023-24 (महत्त्वपूर्ण तिथियाँ)

प्रमुख तिथियां –

❑ आनलॉइन आवदेन	25.03.2024 से 15.04.2024
❑ आनलॉइन आवदेन (विलम्ब शुल्क सहित)	16.04.2024 से 20.04.2024
❑ आवेदन पत्रों में सुधार करने की तिथि	21.04.2024 से 22.04.2024
❑ आनलॉइन प्रवेशपत्र डाउनलोड	01.05.2024 से
❑ लिखित प्रवेश-परीक्षा तिथि	05.05.2024 (रविवार)
❑ लिखित प्रवेश-परीक्षा परिणाम-उद्घोषणा	20.05.2024

नोट- किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उपर्युक्त तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। जानकारी हेतु अभ्यर्थी समय-समय पर वेबसाइट देखते रहें।

9. परीक्षा-केन्द्र

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) द्वारा लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर, नई दिल्ली में आफलाईन के माध्यम से किया जायेगा।

10. अत्यावश्यक

1. अर्ह-अभ्यर्थी आवेदन हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट ***www.slbsrsv.ac.in*** द्वारा आनलॉइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
2. आनलॉइन आवेदनपत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
3. आनलॉइन-आवेदन पत्र में दी गई सूचना का सत्यापन प्रवेश-परीक्षा और प्रवेश के समय होगा।
4. किसी भी प्रकार की असत्य-सूचना प्रमाणित होने पर नियमानुसार कानूनी-कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा से वंचित करना/प्रवेश निरस्त करना भी इसमें शामिल है।
5. आनलॉइन-आवेदन पत्र पर अपनी स्पष्ट और अद्यतन-फोटो तिथि सहित अपलोड करें। **तीन माह से पहले खिंचवाया गया फोटो स्वीकृत नहीं किया जाएगा।** परीक्षा के समय/प्रवेश के समय यदि फोटो मिलान नहीं करेगा, तो परीक्षा से निष्कासन इत्यादि कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
6. अन्तिम-तिथि के बाद आनलॉइन-आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. केवल अर्ह-अभ्यर्थी लिखित-परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित-योग्यता के अभाव में प्रवेश परीक्षा में भी सम्मलित हो जाता है, तो वह स्वयं व्यक्तिगतरूप से इसके परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा।

11. ध्यातव्य बिन्दु

1. केवल अर्ह-अभ्यर्थियों को प्रवेश योग्यताक्रम के अनुसार दिया जाएगा।
2. विद्यावारिधि-पाठ्यक्रम यू.जी.सी. द्वारा मान्यता-प्राप्त हैं। विश्वविद्यालय में निर्धारित स्थानों के अनुसार वरीयता-क्रम से ही प्रवेश दिया जायेगा।
3. प्रवेशार्हता की जांच एवं आरक्षणादि का निर्णय विश्वविद्यालय के अधीन है।
4. प्रवेशपत्र के बिना परीक्षा-केन्द्र में प्रवेश नहीं होगा।
5. विश्वविद्यालय के विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय भी प्रवेशपत्र अनिवार्य रूप से लाना आवश्यक है।
6. यह योग्यताक्रम-सूची केवल वर्ष-2023-24 के लिए वैध होगी।

7. प्रवेश के विषय में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय ही अन्तिम होगा।
8. न्यायिक विषयों में दिल्ली/नई दिल्ली उच्च-न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार होगा।
9. **प्रवेश-परीक्षा में प्रवेशार्थी अपने प्रयोग के लिए नीला बालपैन स्वयं लायेंगे। पेंसिल का प्रयोग वर्जित है।**
10. प्रवेश परीक्षा में अवैध-साधन प्रयोग करने वाले अथवा किसी से सहायता लेने या देने वाले या अनुशासन भंग करने वाले परीक्षार्थी को केन्द्राध्यक्ष परीक्षा से निष्कासित कर सकते हैं, यथाविधि-दण्ड भी दिया जा सकता है।
11. यदि किसी के छायाचित्र में विषमता पायी जाती है और सन्देह होता है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा से निलम्बन/कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. **परीक्षा-भवन में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, इलैक्ट्रानिक उपकरण इत्यादि लाना सर्वथा वर्जित है।**

नोट– विद्यावारिधि में प्रवेश के संबंध में शिक्षा मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के समय यथावत लागू किया जाएगा।

12. परीक्षा पद्धति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार किया जायेगा। विद्यावारिधि प्रश्नपत्र दो भाग में होगा जिसमें प्रथम पत्र वस्तुनिष्ठ होगा तथा द्वितीय प्रश्नपत्र लिखित परीक्षा होगा।

क. परम्परागत विषय हेतु

खण्ड-क (वस्तुनिष्ठ)

	प्रश्नों की संख्या	अंक
1. संस्कृत वाङ्मय का सामान्य ज्ञान	20 वस्तुनिष्ठ	20
2. शोध पद्धति	20 वस्तुनिष्ठ	20
3. सम्बन्धित शास्त्र/विषय ज्ञान	20 वस्तुनिष्ठ	20
कुल		60 अंक

खण्ड-ख (लिखित परीक्षा)

	प्रश्नों की संख्या	अंक
1. सम्बन्धित शास्त्र/विषय	04	40
कुल		40 अंक

आवेदक को सम्बन्धित शास्त्र/विषय की लिखित परीक्षा हेतु सम्बन्धित विषय के 04 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 10-10 अंक निर्धारित होगें।

ख. शिक्षाशास्त्र विषय हेतु

खण्ड-क (वस्तुनिष्ठ)

	प्रश्नों की संख्या	अंक
1. संस्कृत वाङ्मय का सामान्य ज्ञान	20 वस्तुनिष्ठ	20
2. शिक्षा शोध पद्धति	20 वस्तुनिष्ठ	20
3. सम्बन्धित विषय ज्ञान	20 वस्तुनिष्ठ	20
कुल		60 अंक

खण्ड-ख (लिखित परीक्षा)

	प्रश्नों की संख्या	अंक
1. सम्बन्धित विषय	04	40
कुल		40 अंक

आवेदक को सम्बन्धित शास्त्र/विषय की लिखित परीक्षा हेतु सम्बन्धित विषय के 04 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 10-10 अंक निर्धारित होगें।

13. परीक्षा अवधि

परीक्षा की अवधि 120 मिनट (02 घण्टे)

अन्तः शास्त्रीय विषयवर्ग सूची

1.	**अद्वैत वेदांत/ विशिष्टाद्वैत**	सांख्ययोग, न्याय, वैशेषिक, पुराणेतिहास, मीमांसा, आगम, बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, सर्वदर्शन, संस्कृत (दर्शनवर्ग), तन्त्र-योग, रामानन्द वेदान्त, अद्वैत वेदांत विशिष्टाद्वैतवेदान्त।
2.	**सांख्ययोग**	वेदान्त, न्यायवैशेषिक, पुराणेतिहास, बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, आगम, आयुर्वेद, संस्कृत (दर्शनवर्ग), तन्त्र-योग, द्वैताद्वैत।
3.	**न्याय-वैशेषिक**	वेदान्तः, सांख्ययोगः, बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, संस्कृत (दर्शनवर्ग), दर्शनशास्त्र, तन्त्रयोग, सर्वदर्शन, द्वैताद्वैत।
4.	**पुराणेतिहास**	वेदान्त, सांख्ययोग, वेद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, आगम, तन्त्रयोग, सर्वदर्शन, साहित्य, संस्कृत (साहित्य)।
5.	**व्याकरण**	वेद, साहित्य, सांख्ययोग, पुराणेतिहास, भाषाविज्ञान, संस्कृत (व्याकरणवर्ग), तुलनात्मक भाषाविज्ञान।
6.	**ज्योतिष**	वेदांग, सिद्धान्त-ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र, कृषि-विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, खगोलशास्त्र, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य, धर्मागम, सर्वदर्शन।
7.	**वास्तुशास्त्र**	वेदांग, सिद्धान्त-ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र, कृषि-विज्ञान, पर्यावरण-विज्ञान, खगोलशास्त्र, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य, धर्मागम, सर्वदर्शन।
8.	**धर्मशास्त्र**	मीमांसा, वेद, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य, पुराणेतिहास, संस्कृति, तुलनात्मक विधिशास्त्र, भारतीय-विधिशास्त्र, आधुनिक भारतीय कानून, धर्मागम।
9.	**मीमांसा**	धर्मशास्त्र, वेद, वेदान्त, आगम, संस्कृत (दर्शनवर्ग), दर्शन, तन्त्रयोग, सांख्ययोग, धर्मागम, सर्वदर्शन।
10.	**जैनदर्शन**	प्राकृतभाषा, पालि, संस्कृत, बौद्धदर्शन, सांख्य-योग, स्थापत्य-कलाविज्ञान, भारतीय प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति, जैनतन्त्र, बौद्धतन्त्र, सर्वदर्शन।
11.	**सर्वदर्शन**	वेदान्त, द्वैताद्वैत, पाश्चात्य दर्शन एवं अन्य दर्शन।
12.	**साहित्य**	व्याकरण, पुराणेतिहास, तन्त्रागम, संस्कृति, दर्शन, पालि, प्राकृतभाषा, संस्कृत।
13.	**शुक्लयजुर्वेद**	व्याकरण, वेदान्त, आगम, तन्त्रागम, योगतन्त्र, धर्मशास्त्र, मीमांसा, पौरोहित्य, पुराणेतिहास, सांख्ययोग, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, पुरातत्त्व, अभिलेखशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, सर्वदर्शन।
14.	**प्राकृतभाषा**	संस्कृतरूपकवाङ्मय, जैनदर्शन, बौद्धदर्शन, भाषाशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति, वेद, वेदान्त, अभिलेखशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, मन्त्रशास्त्र एवं वास्तुशास्त्र।
15.	**शिक्षा शास्त्र**	शिक्षादर्शन, शिक्षा-मनोविज्ञान, शैक्षिक-शोध , शैक्षिक-तकनीकी एवं अध्यापक-शिक्षा इत्यादि।

विशेषः-किसी भी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय अन्तिम एवं सर्वोपरि मान्य होगा।